पत्र सूचना शाखा
(मीडिया सेल, गृह विभाग)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

इंस्टीटयूट ऑफ फारेंन्सिक साइंसेज लखनऊ की बोर्ड ऑफ गवर्निंग बाडी की दूसरी बैठक अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में सम्पन्न

संस्थान के निर्माण कार्यो को गति प्रदान करने हेतु 50 करोड रूपये धनराशि की दूसरी किस्त दिये जाने की मिली मंजूरी

शैक्षणिक सत्र 2023–24 से संस्थान से शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की योजना

संस्थान के भवन पूर्ण होने तक किसी अन्य भवन से इस वर्ष जून–जुलाई से डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेस शुरू किये जाने के प्रयास

लखनऊ : 14 मार्च, 2022

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंन्सिक साइंसेज लखनऊ के संचालन हेतु गठित सोसाइटी के ''**बोर्ड ऑफ गर्वनिंग बाडी**'' की दूसरी बैठक आज लोक भवन स्थित गृह विभाग के कमाण्ड सेण्टर में अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशक, श्री मुकुल गोयल की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज लखनऊ में शिक्षण कार्य शुरू किये जाने सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2023–24 तक इस इंस्टीट्यूट के प्रांगण सें अध्ययन कार्य प्रारम्भ कराया जा सके। भवन निर्माण पूर्ण होने तक किसी अन्य भवन के माध्यम से इस वर्ष जून–जुलाई मास से डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेस शुरू किये जाने के भी प्रयास किये जा रहे है।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज लखनऊ सोसाइटी की गर्वनिंग बाडी में फांरेंसिक क्षेत्र के तीन विशेषज्ञों को नामित किये जाने पर भी बैठक विचार विमर्श किया गया तथा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तत्काल उच्चानुमोदन हेतु भेजने के निर्देश दिये गये है।

संस्थान के निर्माण कार्यो में और अधिक तेजी लाये जाने हेतु 50 करोड रूपये धनराशि की दूसरी किस्त दिये जाने की मंजूरी गवर्निंग बाडी की बैठक में प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि ए0के0टी0यू0 द्वारा संस्थान को 200 करोड़ रूपये बिना ब्याज के दिये जाने के पूर्व में हुये समझौते के तहत 50 करोड़ रूपये की धनराशि की पहली किस्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसका उपयोग निर्माण कार्य में किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज लखनऊ के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की चयन एवं योग्यता की नियमावली बनाये जाने के कार्य में शीघ्रता लाये जाने के निर्देश दिये गये है। बैठक में इस संस्थान के लिये सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति मे शीघ्रता किये जाने के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श किया गया।

उल्लेखनीय है कि संस्थान हेतु कुल 131 पदों का सृजन शासन द्वारा किया जा चुका है। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जानी है।

बैठक में पुलिस महानिदेशक, श्री मुकुल गोयल के अलावा ए0के0टी0यू0 के वी0सी0 श्री पी0के0 मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस, श्री एस0बी0 शिरडकर, अपर पुलिस महानिदेशक, ट्रेनिंग, डा0 संजय तरडे, अपर पुलिस महानिदेशक, टेक्निकल, श्री मोहित अग्रवाल के अलावा न्याय, वित्त, व गृह विभाग के विशेष सचिव आदि ने भाग लिया।

सम्पर्क– सूचनाधिकारी, प्रभात श्रीवास्तव